

Final NOC

NOC Application has been approved successfully !!!

प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2022/58460/ALB/ALLAHABAD/1082/CFO
दिनांक : 04-08-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ALLAHABAD PUBLIC SCHOOL पता RAWATPUR , NUMAYA, DAHEE, TAHSIL SADA, RAWATPUR , NUMAYA, DAHEE, TAHSIL SADA, PRAYAGRAJ तहसील - SADAR प्लॉट एरिया 7524 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 2620 (वर्ग मीटर), ब्लॉक की संख्या 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	2	0	7 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स ALLAHABAD PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्वबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 05-08-2022 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ATIF UR

RAHMAN,allahabadpublicrawatpur@gmail.com,8874744443 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रथमतः भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सप्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभाग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 05-08-2022 से 04-08-2025 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स ALLAHABAD PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से ज़िम्मेदार होगा/होगी। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स ALLAHABAD PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से ज़िम्मेदार होगा/होगी।

Note : 1- सेटबैक के संबंध में सत्ताप्राधिकारी द्वारा निर्णय मान्य होगा/ अतएव शासन के पत्र संख्या 187/99-पु-8-2022/905(34)/2016 दिनांक 07-01-2022 के आधार पर यह प्रमाण पत्र विद्यमान भवन के लिये निर्गत किया जा रहा है, भवन में ढोँचागत परिवर्तन / अतिरिक्त निर्माण कराये जाने की दशा में अग्निशमन विभाग द्वारा पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। 2 भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना अनिवार्य होगा। 3 प्रतिवर्ष विहित फीस लेखा शीर्षक में जमा कराने के उपरोक्त अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व अग्निशमन यंत्रों का शोधन कराकर फायर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



निर्गत किये जाने का दिनांक : 05-08-2022

स्थान : ALLAHABAD

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Rajeev Kumar Pandey

8DA5490F8C1BCDF5B167752BB7A40B3F521C46EC

05-08-2022

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.